

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।  
पीतामहीन अधिकारी - रामरतन साँकरिया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 69/2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

विकास पुत्र शंकरलाल निवासी अराईयावाली तह0 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट  
उपस्थित- 1 श्री शिवराज सिंह बराड राजकीय अधिवक्ता।

2 श्री राजेन्द्र पारीक अप्रार्थी अधिवक्ता।

-:निर्णय:-



दिनांक:-18.08.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.07.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह कार्यालय स्टाफ के साथ पेट्रोल-डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरुद्ध अभियान के तहत नौरंगदेसर में बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-13-GA-9957 को रुकवाकर वाहन की तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 800 लीटर डीजल मय 04 प्लास्टिक ड्रम, 180 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली कैंनी व डीजल क्रय के बिल मिले। वाहन चालक ने स्वयं का नाम विकास पुत्र शंकरलाल निवासी अराईयावाली तह0 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का होना बताया। मुताबिक विकास उक्त कैम्पर में भरा समस्त पेट्रोल-डीजल हरियाणा स्थित बालाजी के0एस0के0 फिलिंग स्टेशन धौलपालिया (हरियाणा) से खरीद किया गया है एवं पेट्रोल-डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। मौके पर पाये गये 800 लीटर डीजल मय 04 प्लास्टिक ड्रम, 180 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली कैंनी व डीजल क्रय के बिल के संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 800 लीटर डीजल मय 04 प्लास्टिक ड्रम, 180 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली कैंनी व डीजल क्रय के बिल तथा बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-13-GA-9957 को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री पतराम भाम्मू पुत्र लिखमन उम्र 63 जाति जाट हाल पेट्रोल पम्प मालिक निवासी सूर्यनगर गली नं0 05 हनुमानगढ़ टाउन को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार विकास पुत्र शंकरलाल निवासी अराईयावाली तह0 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-13-GA-9957 मय 800 लीटर डीजल मय 04 प्लास्टिक ड्रम, 180 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली कैंनी को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 14.07.2021 को दिये जा चुके हैं।

  
अपर जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि अप्रार्थी से पेट्रोल-डीजल व वाहन जब्त किया गया है। अप्रार्थी कृषक पेशा व्यक्ति है व इसके अलावा अप्रार्थी अन्य कार्य भी करता है। अप्रार्थी के पास स्वयं की कृषि भूमि मय टयूबवैल है, इसके अलावा अप्रार्थी दीगर व्यक्तियों की कृषि भूमि ठेका पर लेकर काश्त करता है। अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काश्त करने, ट्रैक्टर, कार, मोटरसाईकिल, पिकअप व अन्य साधन उपयोग में लेता है, जिस हेतु डीजल की आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी से उक्त जब्त वाहन की अति आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी का वाहन बोलेरो कैंम्पर उचित रख रखाव के अभाव में रंग-रोगन, टायर-टयूब, इंजन खराब होने का अन्देशा है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की गाईडलाईन के अनुसार भी 2500 लीटर तक डीजल परिवहन कर सकता है जबकि अप्रार्थी के पास मात्र 800 लीटर डीजल व पेट्रोल 180 लीटर ही था। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी की जब्त बोलेरो कैंम्पर नम्बर RJ-13-GA-9957 मय 800 लीटर डीजल मय 04 प्लास्टिक ड्रम, 180 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली कैंनी को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी कृषक पेशा व्यक्ति है व इसके अलावा अप्रार्थी अन्य कार्य भी करता है। अप्रार्थी के पास स्वयं की कृषि भूमि मय टयूबवैल है, इसके अलावा अप्रार्थी दीगर व्यक्तियों की कृषि भूमि ठेका पर लेकर काश्त करता है। अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काश्त करने, ट्रैक्टर, कार, मोटरसाईकिल, पिकअप व अन्य साधन उपयोग में लेता है, जिस हेतु डीजल की आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी से उक्त जब्त वाहन की अति आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी का वाहन बोलेरो कैंम्पर उचित रख रखाव के अभाव में रंग-रोगन, टायर-टयूब, इंजन खराब होने का अन्देशा है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की गाईडलाईन के अनुसार भी 2500 लीटर तक डीजल परिवहन कर सकता है जबकि अप्रार्थी के पास मात्र 800 लीटर डीजल व पेट्रोल 180 लीटर ही था। अतः जब्तशुदा वाहन मय पेट्रोल-डीजल अप्रार्थी को लौटाया जावे व प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01) के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल, डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ना ही तलाशी के दौरान यह सिद्ध किया कि उसके पास खुद की कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने तलाशी के वक्त कोई वाहनों के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के जवाब मात्र से अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर 800 लीटर डीजल मय 04 प्लास्टिक ड्रम, 180 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 2 खाली कैंनी को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष



  
अपर जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ

में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 14.07.2021 को दिये जा चुके हैं को राज्य के पक्ष में राजस्व (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-13-GA-9957 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरुद्ध दस हजार रुपये मात्र (10,000/-) की शास्ति के साथ केवल इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-13-GA-9957 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-13-GA-9957 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार शास्ति प्राप्त कर वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। यदि वाहन मोडिफाई (Modified) है, तो जिला परिवहन विभाग से निरीक्षण करवाकर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने पर आवश्यक कार्यवाही करवाकर ही वाहन मालिक को सौंपने की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( रामरतन साँकरिया )  
अपर जिला कलक्टर एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़  
हनुमानगढ़